Volume : 2 | Issue : 8 | August 2013 • ISSN No 2277 - 8179

Research Paper

Political Science

KEYWORDS : व्यवस्थापिका','कार्यपालिका' 'न्यायपालिका 'कार्यपालिका का पतन'

भारत में कार्यपालिका का पतन
Decline of Executive in India

Dr. Surya Bhan Singh | Assistant Professor & Co-ordinator Deptt- of Political Science Uttarakhand Open University, Haldwani ,Nainital (263139)

ABSTRACT

शासन के तीन अंग होते हैं 'व्यवस्थापिका','कार्यपालिका' और 'न्यायपालिका'।इन तीनों के अपने–अपने दायित्वों के निर्वहन पर ही शासन की सफलता निर्भर करती है।भारतीय राजव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि जिन भूमिकाओं के निर्वहन की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से कार्यपालिका की है,कतिपय राजनीतिक और अन्य कारणों से उनका निर्वहन वे नहीं कर रही है।ऐसे में न्यायपालिक जनहित याचिकाओं के द्वारा और स्वतः भी सक्रिय होकर कार्यपालिका को उन दायित्वों के निर्वहन का निर्देश दे रही है और उन कार्यों के समुचित क्रियान्वयन की निगरानी भी कर रही है।जिससे कार्यपालिका की शक्तियों और भूमिका में पतन की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।जिसे 'कार्यपालिका का पतन' कह सकते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में इन्हीं पक्षों का अध्ययन किया गया है ।

प्रस्तावना – भारत में संसदीय लोकतंत्र के साथ संघात्मक षासन प्रणाली को अपनाया गया है।जिसमें षासन के तीन अंग होते हैं।जो क्रमषः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है।जिनके कार्य क्रमषः कानून निर्माण, कानून का क्रियान्वयन और संविधान की रक्षा, उसकी व्याख्या, नागरिक अधिकारों की रक्षा और संविधान की मूल भावना के अनुरूप उसकी व्याख्या और यह देखना है कि षासन के विभिन्न अंग संविधान के उपबंधों और उसकी भावाना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं।

पिछले कुछ वर्शों से यह देखने में आया है कि कार्यपालिका को अपने दायित्वों के समुचित और समयबद्ध निर्वहन के लिए न्यायपालिका निर्देष दे रही है।इसके पष्चात कार्यपालिका अपने दायितों के निर्वहन में सक्रिय हो रही है।इसको मैं कार्यपालिका का पतन मानता हूँ।क्योकि जो दायित्व कार्यपालिका के हैं उनमें से बहुत से संवेदनषील विशयों पर दायित्व निर्वहन न्यायालय के निर्देष पर और न्यायलय की निगरानी में किया जा रहा है। इसके कारण और प्रभाव की चर्चा हम षोधपत्र के अगले चरण में करेंगे ।

कार्यपालिका – सरकार के तीन अंग होते है ।व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ।सरकार के ये अंग राज्य को मूर्त रुप देने वाली संस्थागत व्यवस्था है।कार्यपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है।शोधपत्र के अनुरुप हम यहाँ केवल कार्यपालिका के अर्थ का उसके सीमित और व्यापक संदर्भों में अध्ययन करेंगे।व्यापक अर्थ में नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों से संबंध रखने वाले कार्य, कार्यपालिका के अन्तर्गत आते हैं।जबकि सीमित अर्थों में केवल नीति निर्माण से संबंध रखने कार्य ही इसके अंतर्गत आते हैं।चूँकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें नीति निर्माण की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल पर होती है,जो संसद के प्रति उत्तरदाई होती है।भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने की वजह से कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है।इसलिए भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका हैं।इसी प्रकार से राज्यों में भी संसदीय शासन को स्वीकार किया गया है।इसलिए राज्य में कार्यपालिका राज्यपाल और मंत्रिमंडल हैं।चूंकि मंत्री सामूहिक रुप से नीति निर्माण में भागीदार होता है और वे स्वयं अपने विभाग के अध्यक्ष होते है।इसलिए नीति निर्माण से लेकर नीति के कियान्वयन तक से कार्यपालिका का संबंध होता है।

कार्यपालिका के कार्य – कार्यपालिका के कार्य सम्बंधित देष की सामाजिक संरचना, भौगोलिक संरचना, राजनीतिक ढांचा और कार्यपालिका के स्वयं के ढाँचे पर निर्भर करता है।यहाँ इसके कार्यों की संक्षेप में चर्चा इस लिए आवष्यक है कि इससे षोध पत्र के विशय–'कार्यपालिका के पतन' को स्पश्ट करने में सहायता मिलेगी।कार्यपालिका के कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं– देष के अंदर षांति व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिक कार्य है क्योंकि विना इसके विकास संबंधी कार्यों का सुचारू पूर्वक संचालन नहीं किया जा सकता है। विकास कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के साथ ही विकास के कार्यों से देष के सभी समुदायों को लाभ मिल सके, इसको सुनिष्चित करने की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका की ही होती है।क्योंकि इसके विना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास नहीं कर सकता है।भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए निर्देषक सिद्धांत दिए गए हैं,जो देष के नागरिकों को अपने जीवन स्तर को सुधारने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से सम्बंधित हैं।संक्षेप में कार्यपालिका देष के अंदर कानून को लागू करने, उनके निर्देषन नियंत्रण और षासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए न्याय की स्थापना के गुरुतर दायित्व का निर्वहन करती है। इसके साथ ही साथ देष को, देष के अंदर और बाहर से आने वाले संकटों से निपटने का कार्य भी करती है।देष को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने कार्य भी कार्यपालिका ही करती है।

भारत में कार्यपालिका का पतन –
कार्यपालिका के पतन के जानने के लिए इसमें कई पक्षों को षामिल करना होगा। तभी इसका असली स्वरूप उभर पायेगा इसके पतन के सम्बन्ध में कई सवाल उभरते हैं जो इस प्रकार है –

क्या कार्यपालिका की षक्तियों में वास्तव में गिरावट आई है या इसकी कार्यकुषलता में गिरावट आई है या इसके प्रति अब सामान्यजन की वह निश्ठा नहीं रही जो आजादी के बाद के दिनों में हुआ करती थी ध क्या कार्यपालिका की सत्ता में पहले की अपेक्षा कमी आई है या कार्यपालिका के सदस्यों के व्यवहार और उनसे अपेक्षित नैतिक और मानदंड परक आचरण में गिरावट आई हैध क्या उक्त सभी या इनमें से कुछ कारणों से आमजनमानस के विष्वास और लगाव में गिरावट आई है और वे इसके स्थान पर षासन के किसी अन्य अंग ने अपने दायित्व निर्वहन के कारण महत्व प्रप्त किया है ।

उक्त प्रष्नों के सन्दर्भ में हम इस षोध पत्र के मूल प्रष्न का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे ।यहाँ प्रारम्भ में ही यह स्पश्ट करना नितांत आवष्यक है की देष में संसदीय षासन प्रणाली अपनाई गई है।परन्तु इसकी परम्परा के अनुरूप व्यावहारिक स्तर पर कार्यपालिका षासन के अधिक षक्तिषाली अंग के रूप में दिखाई देती है। क्योंकि सरकार के गठन में बहुमत के महत्त्व, दल के प्रभावषाली नेता का दल के नेता के रूप में चयन, इस प्रकार सदन के नेता के रूप में स्थान पाना निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में चुने जाने के कारण राश्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति, दलीय अनुषासन और समयपूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिष पर राश्ट्रपति के द्वारा निम्न सदन का विघटन ,ये सभी सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष तो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अधिक षक्तिषाली स्थान प्रदान कर देते हैं। परन्तु पिछले वर्शों से यह दिखाई दे रहा है कि सामान्य प्रषासन के संचालन में भी कार्यपालिका अपने दायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा का वर्ताव कर रही है इस सन्दर्भ में हम कुछ उदाहरणों का समावेष करना चाहेंगे। सबसे पहले हम देष की आतंरिक सुरक्षा से सम्बंधित कुछ उदाहरणों को देखना चाहेंगे।कर्नाटक में चन्दन तस्कर वीरप्पन ने फिल्म कलाकार डॉ राजकुमार का अपहरण करके सरकार के सामने अपने 300 साथियों को छोड़ने की षर्त रक्खी ।तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने इसके अनुकूल कार्य करना प्रारम्भ किया।इस तर्क के आधार पर कि यदि ऐसा न किया गया तो वे लोकप्रिय कलाकार डॉ राजकुमार की हत्या कर देंगे और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जायेगी।जिस पर जनहित याचिका पर अपना निर्णय देते हुए अदालत ने निर्णय में यह निर्देष दिया कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का दायित्व है, यदि वर्तमान सरकार इसका निर्वहन नहीं कर सकती है तो वह पद छोड़े कोई दूसरा इसका निर्वहन करेगा। इसके पश्चात पर बड़े ही नाटकीय ढंग से डॉ राजकुमार की रिहाई हो गई।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना अभी हाल में हुई जिसमें एक प्रांत की सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त कुछ लोंगों को छोड़नें की कार्यवाही प्रारम्भ की। जिस उच्च न्यायालय का निर्णय व्यंगात्मक टिप्पणी के साथ आया कि सरकार इन्हें छोडने के साथ–साथ,उन्हें पद्मश्री,पद्मभूशण भी प्रदान कर दे।न्यायालय ने आगे कहा कि कौन आतंकवादी है या नहीं ?क्या इसका निर्णय अब कार्यपालिका करेगी? इसी के साथ न्यायालय ने इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के निर्देश भी दिये।

तेज़ाब पीड़ितों के मामले को देखे तो इस सन्दर्भ में तो षासन को स्वयं ही ऐसे प्रयास करने चाहिए थे जिससे इस प्रकार की अमानवीय कृत्यों को अंजाम देने वालो को दंड मिलने के साथ इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुष लग सके ।परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर तेजाब की बिक्री के नियमन के लिए आवश्यक निर्देश देने के साथ पीड़ितों व राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिये।

अभी 16–06–2013 को उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के ऊपर बादल फटने के कारण, उक्त धाम में भी÷ाण तवाही आने के साथ ही इसके आगे भी प्राकृतिक आपदा आई जिसमें हजारों की संख्या में लोग जल प्रलय में बह गए। इसके साथ ही आज तक हजारों की संख्या में लापता हैं। जिनके बारे में आज तक कोई सूचना नहीं है कि वे कहाँ हैं ? इस आपदा का जिक्र करना इसलिए आवष्यक है क्यों की इससे प्रदेष में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी और आपदा के बाद कार्यवाही में तालमेल का अभाव दिखाई दिया। अन्य प्रान्तों से उत्तराखंड को भेजी गई राहत सामग्री भी समय से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पा रहा थी। यद्यपि भौगोलिक जटिलताएं भी काफी हद तक राहत कार्य में बाधक हो रही थी। परन्तु यदि आपदा पूर्व व्यापक तैयारी होती तो षायद उक्त आपदा से निपटने में और तेजी लाने के साथ, कम समय में ज्यादा लोंगों के जान माल की रक्षा की जा सकती थी। इन्हीं कारणों से न्यायपालिका ने आपदा राहत कार्यों के सम्बन्ध में आवष्यक निर्देष प्रदेष सरकार को दिये। इन निर्देषों का महत्त्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि आपदा आने के लगभग एक माह बीत जाने के बाद सरकार ने इसे आपदा घोशित किया

इसके अतिरिक्त पुलिस सुधार हो या न्यायिक सुधार, के लिए न्यायलय के निर्देष देने के बाद भी आज तक इस दिषा में कार्यपालिका के द्वारा किसी प्रकार की कोई सार्थक पहल नहीं की गई।

Volume : 2 | Issue : 8 | August 2013 • ISSN No 2277 - 8179

निष्कर्ष –

उक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निश्कर्श पर पहुंचे है की कार्यपालिका के षक्तियों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है वरन इसके द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति उपेक्षा के साथ ही उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति स्पश्ट रूप से दिखाई देती है।क्योंकि देष की जिन समस्याओं का निराकरण यदि समय रहते कर दिया जाए तो वे महत्वहीन हो जायेंगी परन्तु उनके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण वह बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आ रही हैं।जैसा कि ऊपर के अध्ययन में हमने देखा की रोजमर्रा के प्रषासन में भी कार्यपालिका को उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए न्यायपालिका के द्वारा निर्देष दिए जाते हैं, तब जाकर वह सक्रिय होती है।उक्त षोध पत्र में कार्यपालिका के दायित्व निर्वहन में उभरती हुई इस प्रवृत्ति को ही हम कार्यपालिका के पतन के रूप में संबोधित कर रहे हैं।देष में आजादी के 65 वर्श के बीत जाने के बाद भी हिन्दुस्तान में रोटी की समस्या खडी हुई है। विद्यालयों में षिक्षा के लिए स्कूल तक बच्चों को लाने के लिए मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहां है। अभी हाल में विहार प्रांत के एक विद्यालय में विशाक्त भोजन करने से 22 बच्चे काल के गाल में समा गए। इसी के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में न्याय की स्थापना प्राथमिक लक्ष्य है ।न्याय की सिद्धि के लिए स्वतन्त्र और निश्पक्ष संस्थात्मक न्यायायिक संरचना का प्रावधान किया गया है।परंतु देश देश की आवश्यकताावद के अनुरुप यह संरचना व्यापक नहीं है। न्यायपालिका को और व्यापक स्वरुप देनें में भी कार्यपालिका ने काई ठोस पहल नहीं की है ।अंत में हम यह कहना चाहते हैं की जब कार्यपालिका में अपने दायित्वों के प्रति उपेक्षा की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तब षासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका ने, कार्यपालिका को अपने दायित्वों के निर्वहन के निर्देष, के द्वारा, अपने दायित्व का बड़ी ही जिम्मेदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया है। इस कार्य कुछ विलम्ब दिखाई देता है तो उसके पीछे भी कार्यपालिका के द्वारा न्यायालय के निर्देष के बाद भी न्यायिक सुधार को अमली जामा न पहनाना है। इन्हीं कारणों से कार्यपालिका के प्रति जनमानस के द्वारा सम्मान में कमी आई है। जिसे हम कार्यपालिका का पतन कह रहे हैं ।

REFERENCE

सी.बी.गेना – तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं । द्य समाचार पत्र ,दैनिकद्ध – हिदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, टाइम्स आफ इण्डिया,। द्य न्यूज चैनल – एन.डी.टी.वी.,ए.बी.पी, ई.टी.वी.। द्य